गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 166वीं बैठक दिनांक 28.10.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 166वीं बैठक दिनांक 28.10.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 बबीता माझी	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 ए.एस. रणदिवे

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्‌बोधन में जीवनके विभिन्न रूपों में निहित चुनौतियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिल–जुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

स्थायी समिति ने यह भी सूचना ग्रहण की कि बी.टेक द्वितीय वर्ष में एक विद्यार्थी ने पार्श्व प्रवेश प्राप्त किया है।

विषय क्र. 03. **ड्राफ्ट रिसर्च प्रस्ताव Documentation and Preservation for Endangered Languages in Central India रूपये 3,87,92,000/– पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. **भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र विधिज्ञ शिक्षा सत्र 2023–24 फीस वापसी संबंधी पॉलिसी पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र विधिज्ञ शिक्षा सत्र 2023–24 फीस वापसी संबंधी पॉलिसी को विधि से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र. 05. **संस्थान स्थापना के लिये परिनियम प्रारूप एवं Diploma in Aviation or Hospitality services के लिये अध्यादेश प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संस्थान स्थापना के लिये परिनियम प्रारूप एवं Diploma in Aviation and Hospitality services के लिये अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पाठ्यक्रम का नाम Diploma in Aviation and Hospitality services पढ़ा जाय।

विषय क्र. 06. **स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अन्तर्गत मशरूम उत्पादन इकाई एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अन्तर्गत मशरूम उत्पादन इकाई एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. **नीति दस्तावेज़ के संशोधित प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन (i) रोटेशन के आधार पर शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार/असाइनमेंट सौंपना, (ii) कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति/उन्नयन के लिए शिक्षकों के प्रशासनिक अनुभव को शामिल करना और (iii) शिक्षकों को अतिरिक्त समय/छुट्टियों के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन के बदले में प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि (i) रोटेशन के आधार पर शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार/असाइनमेंट सौंपना, (ii) कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति/उन्नयन के लिए शिक्षकों के प्रशासनिक अनुभव को शामिल करना और (iii) शिक्षकों को अतिरिक्त समय/छुट्टियों के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन के बदले में प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने संबंधी प्राप्त तीनों प्रारूपों का अनुमोदन किया जाय।

28/10/2023

28/10/2023

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 छात्रावास में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में विद्यार्थियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रिया पर चर्चा की गई तथा छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को छात्रावासों में मैरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों के द्वारा छात्रावास में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर छात्रावास के नियमों की सुसंगत प्रावधानों के तहत् उक्त विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अथवा निष्कासित करने का निर्णय संबंधित छात्रावास के प्रशासनिक अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक के द्वारा लेने एवं तत्काल कार्यवाही कर प्रशासन को सूचति करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

28/10/2023 28/10/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**